न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—167 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
हापूराम पुत्र केराराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		01. बाबूराम पुत्र कालूराम 02. छोटादेवी पत्नी बाबूलाल जातियान जाट निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा 03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी करने

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या—1 से 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या—3 की ओर से सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांक** 10/1/2023

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भावी (जे.बी.), तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4220 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 4218 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी की खसरा नम्बर 4220 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 4218 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि के दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या—1 की भूमि खसरा नम्बर 4194 रकबा 2 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या—2 की भूमि खसरा नम्बर 4195 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। सभी पक्षकारान अलग अलग मौके अनुसार काबिज चले आ रहे है। तथा मौके अनुसार का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी अपनी तीन दिन पहले अपनी खातेदारी, कब्जाशुदा की भूमि खसरा नम्बर 4220 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 4218 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के चारों ओर कांटों की तारबंन्दी करने व पाला लगाने हेतु गया लेकिन अप्रार्थी संख्या—1 व 2 ने प्रार्थी की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

खातेदारी की भूमि में तारबन्दी व पाला देने के कार्य से रोक दिया जिस पर अप्रार्थी संख्या–1 व 2 प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये इस कारण प्रार्थी को नाप, पत्थरगढी हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 4220, 4218 के दक्षिणी पूर्वी दिशा में एक नहर की भूमि स्थित है जिसमें पानी की धोरी चलती है जो पानी की धोरी भूमि खसरा नम्बर 4220, 4218 में सिंचाई होती है उस पानी की धोरी को खुर्द बुर्द कर अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 4194, 4195 में मिला दिया एवं अप्रार्थी संख्या–1 व 2 अपनी भूमि से अधिक रकबे को दबाना चाहते है। इस कारण सम्पूर्ण रकबे का नाप किया जाना आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 4220 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 4218 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का नाप (सीमांकन), पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावे एवं सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस ईमदाद की व्यवस्था दिलायी जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए फिर भी उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सख्ंया–3 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए और अपना जवाब पेश किया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया और भूमि की सीमांकन, तरमीम, पत्थरगढी करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4220 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 4218 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है इस कारण मौके पर नाप (सीमाकंन), एवं पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4220 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 4218 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 4194 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 4195 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा का नाप (सीमांकन), पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्रार्थी को प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलाश सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते